

राजस्थान सरकार
मंत्रिमण्डल सचिवालय

क्रमांक: प. 5(1)मं.मं./2014

जयपुर, दिनांक 16/2/18

आज्ञा

राज्य सरकार एवं राजस्थान सेवारत चिकित्सक संघ के मध्य दिनांक 12.11.2017 को हुए समझौते के बिन्दु संख्या 1 के उपबिन्दु (i) एवं (ii) के अनुरूप कार्मिक विभाग द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 19.12.2017 का परीक्षण किये जाने हेतु एतद्वारा निम्नांकित मंत्रिगण की एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति का गठन किया जाता है:-

1. श्री यूनूस खान, मंत्री, सार्वजनिक निर्माण विभाग
2. श्री राजपाल सिंह शेखावत, मंत्री, उद्योग विभाग
3. डॉ० रामप्रताप, मंत्री, जल संसाधन विभाग

उक्त उप समिति अपनी अभिशंषा सहित रिपोर्ट अतिशीघ्र मा० मुख्यमंत्री महोदया को प्रस्तुत करेगी।

उक्त उप समिति का प्रशासनिक विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होगा तथा इसके सदस्य-सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग होंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,



(पवन कुमार गोयल)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग।
2. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री, राजस्थान।
3. सचिव, राज्यपाल, राजस्थान।
4. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
5. विशिष्ट सहायक/निजी सचिव, संबंधित मंत्रिगण।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, मंत्रिमण्डल सचिवालय।
7. रक्षित पत्रावली।



प्रमुख शासन सचिव